न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 108/2014

1 हनुमान सिंह पुत्र आससिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सम्मान कंवर पुत्री मुकन्दसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर विधिक प्रतिनिधि मृत वादी नम्बर 1 मुकन्द सिंह पुत्र आससिंह।
2 मानसिंह पुत्र मंगेजसिंह।
3 सोहन कंवर पत्नी मंगेजसिंह।
4 मुन्नी कंवर पुत्री मंगेजसिंह।
5 ओम कंवर पुत्री मंगेजसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पालवास तहसील धोद जिला सीकर विधिक वारिसान मृत वादी नम्बर 2 मंगेजसिंह पुत्र आससिंह।
6 सतपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
7 डूंगर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
8 गोरधन सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
9 ओमसिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
10 सुप्यार कंवर पत्नी रिछपाल सिंह।
10/1 गेन्द कंवर पुत्री सुप्यार कंवर।
10/2 दक्ष कंवर पुत्री सुप्यार कंवर।
10/3 जतन कंवर पुत्री सुप्यार कंवर
11 मूलसिंह पुत्र मगसिंह।
12 छगन सिंह पुत्र मगसिंह।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 धूड़सिंह पुत्र मालसिंह।
14 रामसिंह पुत्र दुरजन सिंह।
15 लिछमण सिंह पुत्र भानसिंह।
16 गिरधारी सिंह पुत्र भानसिंह।
17 बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह।
18 दशरथ सिंह पुत्र भंवर सिंह।
19 राजेन्द्र सिंह पुत्र मगनसिंह।
20 पप्पू सिंह उर्फ नवल सिंह पुत्र मगनसिंह।
21 नारायण सिंह पुत्र मगन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पालवास तहसील धोद जिला सीकर।
22 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.08.1991 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा नम्बर 348/1989 बउनवानी मुकन्द सिंह बनाम रिछपाल सिंह आदि

अपील संख्या 109/2014

1 हनुमान सिंह पुत्र आससिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 सम्मान कंवर पुत्री मुकन्दसिंह जाति राजपूत निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर विधिक प्रतिनिधि मृत वादी नम्बर 1 मुकन्द सिंह पुत्र आससिंह।
2 मानसिंह पुत्र मंगेजसिंह।
3 सोहन कंवर पत्नी मंगेजसिंह।
4 मुन्नी कंवर पुत्री मंगेजसिंह।
5 ओम कंवर पुत्री मंगेजसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पालवास तहसील धोद जिला सीकर विधिक वारिसान मृत वादी नम्बर 2 मंगेजसिंह पुत्र आससिंह।
6 सतपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
7 डूंगर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
8 गोरधन सिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
9 ओमसिंह पुत्र रिछपाल सिंह।
10 सुप्यार कंवर पत्नी रिछपाल सिंह।
10/1 गेन्द कंवर पुत्री सुप्यार कंवर।
10/2 दक्ष कंवर पुत्री सुप्यार कंवर।
10/3 जतन कंवर पुत्री सुप्यार कंवर
11 मूलसिंह पुत्र मगसिंह।
12 छगन सिंह पुत्र मगसिंह।
13 धूड़सिंह पुत्र मालसिंह।
14 रामसिंह पुत्र दुरजन सिंह।
15 लिछमण सिंह पुत्र भानसिंह।
16 गिरधारी सिंह पुत्र भानसिंह।
17 बजरंग सिंह पुत्र भंवर सिंह।
18 दशरथ सिंह पुत्र भंवर सिंह।
19 राजेन्द्र सिंह पुत्र मगनसिंह।
20 पप्पू सिंह उर्फ नवल सिंह पुत्र मगनसिंह।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर ... सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

21 नारायण सिंह पुत्र मगन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पालवास तहसील धोद जिला सीकर।
22 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.10.1989 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मुकदमा नम्बर 58/1987 बउनवानी मुकन्द सिंह बनाम रिछपाल सिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री गणपत लाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—14-2-23

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 348/1989 एवं 58/1987 में पारित निर्णय प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.1991 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 03.10.1989 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें। प्रस्तुत अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। धारा 5 पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि चुनौतीग्रस्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री वादीगण ने अपीलांट को बिना नोटिस, सम्मन जारी किये तथा बिना सूचना के प्राप्त की है जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलांट्स को नहीं हो सकी व अब दिनांक 14.07.2014 को रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट को कहा कि वह खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 0.5500 हैक्टेयर का विक्रय करेगी क्योंकि वह उक्त खेत का हिस्सा 1/4 उसके पिता मुकन्द सिंह व चाचा मंगेज सिंह ने दावा व डिक्री से अपने नाम करवा लिया है तब अपीलांट ने दिनांक 14.07.2014 को उक्त प्रारम्भिक डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 16.07.2014 को मिली। इस प्रकार जानकारी के हिसाब से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुति में जानबुझकर विलम्ब नहीं किया गया बल्कि उपरोक्त कारण से जानकारी के अभाव में मजबुरी वश विलम्ब हुआ है जो विलम्ब क्षमा किया जाना प्रार्थनीय है। अत धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के बारे में शुरू से ही जानकारी रही है। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निराधार एवं मनगढंत एवं असत्य व अविश्वसनीय अभिकथन करते हुये दिनांक14.07.2014 को जानकारी होना अभिकथित किया जा रहा है, जबकि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.1991 को पारित की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पारित हो जाने के पश्चात निर्णय एवं अन्तिम डिक्री का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है। अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों की खातेदारी निर्णय एवं अन्तिम डिक्री के पूर्व भिन्न रूप से दर्ज रिकार्ड थी जिसमें कुछ भूमियां अपीलांट के नाम नही थी वो भूमियां भी निर्णय एवं डिक्री के आधार पर अपीलांट को प्राप्त हुई तथा उनमें कुछ भूमियां शामलाती थी वो अकेले अपीलांट को प्राप्त हुई है। निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं अन्तिम डिक्री के आधार पर अपीलांट को अकेले का प्राप्त भूमियों में से भूमियां खसरा नम्बर 203 व 204/1 में 0.11 हैक्टेयर भूमि अपीलांट हनुमान सिंह द्वारा जीवणराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर को वर्ष 2004 में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को सही मानते हुये व जानकारी रखते हुए बेचान की गई। भूमियां खसरा नम्बर 499/150, 491/203,193/204 जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के आधार पर अकेले अपीलांट को प्राप्त हुई। उन पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सीकर के यहां रहन रखा गया तथा निर्णय एवं डिक्री से अकेले मगन सिंह पुत्र भंवरसिंह को अकेले को प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 197 में से 0.22 हैक्टेयर भूमि अपीलांट ने खरीदी इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अन्तिम डिक्री के आधार पर नव सृजित राजस्व रिकार्ड को सही मानते हुये एवं जानते हुए अपीलांट ने जब उपरोक्त कार्यवाही की है तो यह सम्भव ही नहीं है कि उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के बारे में पूर्व से जानकारी नहीं हो। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलांट अपने आवेदन में स्वंय कथन कर रहा है कि उसे सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.07.2014 को हुई है। प्रस्तुत अपील अपीलांट ने 15.09.2014 को प्रस्तुत की है। अपील की मियाद 60 दिवस है। प्रस्तुत अपील जानकारी के उपरान्त भी मियाद बाहर है। इस विलम्ब का अपीलांट ने दिन प्रतिदिन का सन्तोषजनक कारण अंकित नही किया है। अत अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1978 पेज 432, आर. आर.डी. 2008 पेज 644, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 614, आर.एल.डब्ल्यू 2013 (1) आर.जे. पेज 224 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा संख्या 58/1987 बउनवानी मुकन्दसिंह वगैरह बनाम रिछपाल सिंह वगैरह में वर्तमान अपीलांट हनुमान सिंह पुत्र

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आससिंह प्रतिवादी संख्या 02 के रूप में पक्षकार था। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.06.1987 में स्पष्ट अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 02 की तामील असालतन हो चुकी है। इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा इस वाद में दिनांक 03.10.1989 को प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं दिनांक 27.08.1991 को अन्तिम डिक्री की गई है। इस निर्णय के विरूद्व वर्तमान अपीलांट हनुमान सिंह ने धारा 5 के आवेदन के साथ दिनांक 15.09.2014 को अपील प्रस्तुत की है। धारा 5 के आवेदन में अपीलांट ने विचाराधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.07.2014 को होना कथित किया है एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने दिनांक 14.07.2014 को जानकारी होने के उपरान्त भी प्रस्तुत अपील निर्धारित मियाद 60 दिवस के उपरान्त प्रस्तुत की है। धारा 5 के आवेदन में दिन प्रतिदिन की देरी का सन्तोषप्रद कारण भी अंकित नही किया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.07.2014 को होना कथित किया है किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम पालवास संवत 2054 से 2057 में विचाराधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट हनुमान सिंह का प्राप्त खसरा नम्बर 203 व 204/1 में से विक्रय के आधार पर नामान्तकरण संख्या 152 द्वारा 0.11 हैक्टेयर का खाता जीवणराम पुत्र राजूराम जाति जाट साकिन नानी के नाम स्वीकार होने का अंकन है। इस अंकन से स्पष्ट है कि संवत 2054 से 2057 अर्थात वर्ष 2004 में अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री से प्राप्त खसरा नम्बर 203,204/1 में से भूमि विक्रय की गई है स्पष्ट है कि अपीलांट को वर्ष 2004 में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पालना में निर्मित राजस्व रिकार्ड की जानकारी हो गई थी। इसी प्रकार अपील की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में खसरा नम्बर 157 खातेदार मंगनसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा स्वंय की 0.22 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 20.03.2004 से खाता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट के नाम दर्ज हुआ है स्पष्ट है कि अपीलांट को वर्ष 2004 में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पालना में निर्मित राजस्व रिकार्ड की जानकारी हो गई थी। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2058 से 2061 में खसरा नम्बर 499/150, 491/203,193/204 अपीलांट द्वारा नामान्तकरण संख्या 252 दिनांक 02.04.2004 द्वारा एस.बी.बी.जे. शाखा सीकर के नाम रहननामा स्वीकृत होने का अंकन है। इससे भी स्पष्ट होता है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पालना में निर्मित राजस्व रिकार्ड की जानकारी 2004 में ही हो गई थी। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं शपथ पत्र तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.एल. डब्ल्यू 2013 (1) आर.जे. पेज 224 में अभिनिर्धारित सिद्वान्त पूर्णतया चस्पा होता है। इसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि " Limitation Act, 1963, Sec. 5- Condonation of delay- Delay of more than one year in filing appeal – RAA condoned delay casually- No sufficient grounds shown – The only cause shown was false and contrary to the Record- Held – Casualness further distorted by falsity cannot be the manner of proceeding before the Court either revenue civil – Sought condonation of delay on manufactured grounds which was ex-facie false- Revenue Board rightly set aside the order – Warrants no interference u/Art.227. ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 के आधार पर मियाद में छुट प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री खसरा नम्बर 231,115,161,202,203, 69 से 78 के सन्दर्भ में पारित की गई है। इसके विरूद्व अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर अनुतोष केवल खसरा नम्बर 161 की सीमा तक चाहा गया है। शेष के सन्दर्भ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में कोई अनुतोष नही चाहा है स्पष्ट है कि अपीलांट स्वच्छ हाथो से नही आया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर